

—:: आदेश ::—

नवीन विशेषज्ञ

प्रादेशिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के विशेषज्ञ चिकित्साधिकारियों के सेवानिवृत्ति के उपरान्त 65 वर्ष की आयु तक पुनर्योजन प्रदान किये जाने सम्बन्धी चिकित्सा अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-157/सेक-2-पॉच-14-7(255)/13, दिनांक 13.01.2014 सपठित शासनादेश संख्या-1961/सेक-2-पॉच-14-7(255)/13, दिनांक 18.06.2014, संख्या-965/सेक-2-पॉच-16-7(255)/2013, दिनांक 10.03.2016, शासनादेश संख्या-1858/सेक-2-पांच-17-7(67)/2017, दिनांक 22.06.2017 एवं शासनादेश संख्या-2996/सेक-2-पांच-17-7(67)/2017, दिनांक 19.07.2017में अंकित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निम्नलिखित चिकित्सकों को परामर्शी (कन्सल्टेंट) के रूपमें उनके नाम के सम्मुख अंकित चिकित्सालय में नियमित चिकित्साधिकारियों से पद भरे जाने अथवा एक वर्ष की अवधि अथवा 65 वर्ष की आयु पूर्ण करने की तिथि, जो भी पहले हो, तक के लिए एतद्वारा तात्कालिक प्रभाव से निम्न प्रतिबन्धों/शर्तों के अधीन पुनर्योजित किया जाता है।

- (1) पुनर्योजन केवल विशेषज्ञ चिकित्सकों का ही किया जायेगा। विशेषज्ञ चिकित्सकों को कोई प्रशासकीय पद नहीं दिया जायेगा। पुनर्योजन की अवधि में इन्हें संवर्गीय पदनाम नहीं दिया जायेगा। पुनर्योजन की अवधि में विशेषज्ञ के रूप में कन्सल्टेंट अथवा परामर्शी कहा जायेगा।
- (2) पुनर्योजन की अवधि पेंशन के लिए नहीं गिनी जायेगी और पद का कार्यभार ग्रहण करने अथवा उसकी समाप्ति पर कोई यात्रा भत्ता नहीं देय होगा।
- (3) पुनर्योजन की अवधि में वह नियत वेतन अनुमन्य होगा, जो पुनर्योजित कार्मिक के अन्तिम आहरित वेतन में से शुद्ध पेंशन की धनराशि (राशिकरण के पूर्व यदि कोई हो) घटाने के फलस्वरूप आये। पुनर्योजन की अवधि में शुद्ध वेतन+शुद्ध पेंशन के योग पर महंगाई भत्ता अनुमन्य होगा, किन्तु पुनर्योजन की अवधि में पेंशन पर पृथक से महंगाई राहत अनुमन्य नहीं होगी।
- (4) पुनर्योजित विशेषज्ञ चिकित्सकों को अस्थायी कर्मचारी की भाँति वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-2, भाग-2 से 4 के सहायक नियम-157ए तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर पारित आदेशों के अनुसार अवकाश देय होगा।
- (5) पुनर्योजन की अवधि में विशेषज्ञ चिकित्सकों को यात्रा तथा दैनिक भत्ते उनके वेतन व शुद्ध पेंशन के योग के अनुसार अनुमन्य दरों पर देय होंगे जैसा कि यात्रा भत्ता नियम-16-ए में प्राविधानित है।
- (6) पुनर्योजन पर नियुक्त विशेषज्ञ चिकित्सकों को आपातकालीन सेवाओं/आकस्मिक सेवाओं हेतु उपलब्ध रहना होगा।
- (7) जनपदवार/विशेषज्ञतावार पुनर्योजित विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवायें संतोषजनक न पाये जाने पर अस्थायी सरकारी सेवक की भाँति एक माह की अग्रिम नोटिस देकर उनकी सेवायें समाप्त की जा सकेंगी। पुनर्योजन पर तैनात विशेषज्ञ चिकित्सक भी एक माह की अग्रिम नोटिस देकर सेवा मुक्त हो सकता है।
- (8) पुनर्योजन पर तैनात विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा मरीजों को अस्पताल में सरकारी नियमों के अन्तर्गत उपलब्ध दवाओं को ही संस्तुत करेंगे तथा उनके द्वारा किसी भी रूप में प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं की जाएगी। इसका उल्लंघन करने पर तत्काल प्रभाव से पुनर्योजन समाप्त कर दिया जायेगा।
- (9) सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा अधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/सक्षम अधिकारी द्वारा चिकित्सक की तैनाती के पूर्व चिकित्सक से इस आशय का शपथ पत्र प्राप्त कर लिया जाय कि सेवा काल के दौरान न तो सी0वी0आई0 जॉच/न तो सतर्कता जॉच न ही अनुशासनिक कार्यवाही तथा न ही कोई आपराधिक प्रकरण विचाराधीन है, यदि कोई तथ्य संज्ञान में आता है तो सेवायें समाप्त कर दी जायेगी।
- (10) सम्बन्धित चिकित्सक की तैनाती के पूर्व सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा अधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/सक्षम अधिकारी द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि संबंधित चिकित्सक की स्वास्थ्यता के सम्बन्ध में अपेक्षित स्वास्थ्यता प्रमाण पत्र अवश्य उपलब्ध करा दिया जाय।
- (11) यदि किसी चिकित्सक द्वारा पुनर्योजन के आधार पर तैनाती से पूर्व उक्तानुसार अपेक्षित शपथ पत्र और स्वास्थ्यता प्रमाणपत्र उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो उनकी तैनाती/पुनर्योजन न किया जाये, बल्कि ऐसे प्रकरणों को पुनः महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 के संज्ञान में लाया जाय।
- (12) पुनर्योजित विशेषज्ञ परामर्शी को सेवानिवृत्त तिथि अथवा आदेश निर्गत तिथि, जो भी बाद में हो, से 15 दिन के अंदर प्रत्येक दशा में पुनर्योजित पद पर सेवा में योगदान करना होगा, यदि पुनर्योजित परामर्शी उपरोक्तानुसार 15 दिन में सेवा में योगदान नहीं करते हैं तो यह माना जायेगा कि सम्बन्धित परामर्शी कार्य करने के इच्छुक नहीं है और उनके पुनर्योजन को स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

उपरोक्तानुसार 15 दिन में सेवा में योगदान नहीं करते हैं। तो यह माना जायेगा कि सम्बंधित परामर्शी कार्य करने के इच्छुक नहीं है और उनके पुनर्योजन को स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

(13) पुनर्योजित परामर्शी चिकित्सक से प्रशासकीय कार्य को छोड़ कर अन्य समस्त चिकित्सकीय कार्य नियमित चिकित्सक के बराबर लिया जा सकेगा।

S. No.	Name	Seniority Number	DOB	Date of Retirement	QUALIFICATION	Place of Posting
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dr. KAILASH NATH TIWARI	6524	30/12/1961	31/12/2023	Surgeon	Balrampur Hospital Lucknow
2.	Dr. ASHOK KUMAR PANDEY	6623	1/7/1961	30/06/2023	Orthopaedic Surgeon	T.B Cum combined Hospital Thakurganj Lucknow
3.	Dr. REKHA SINGH	7343	14/10/1959	31/10/2021	GYNEACOLOGIST	Under CMO Ghaziabad
4.	Dr. CHANDRA PRAKASH KASHYAP	6663	1/1/1962	31/12/2023	ORTHOPAEDICS Surgeon	SSPG Hospital varanasi
5.	Dr. NEELAMBER SRIVASTAVA	7173	26/12/1961	31/12/2023	PAEDIATRICIAN	Dr. (SPM) Civil Hospital Lucknow

For Selected Candidate:-

- It is mandatory to submit their Manav Sampada forms within 15 days of joining if their Manav Sampada form has not been filled in the past. The form must be signed by their respective CMO/CMS/office head. It is their duty to ensure the form reaches Swathya Bhawan within 15 days of joining.
- It is mandatory to submit their Joining report forms within 15 days of joining. The report must be signed by their respective CMO/CMS/office head. It is their duty to ensure the report reaches Swathya Bhawan within 15 days of joining.
- The time for joining will be 15 days within date of appointment.

(डा० वृजेश राठौर)
महानिदेशक

संख्या-1फ/विशेषज्ञ/पुनर्योजन/2022-23/4362(11)

तददिनांक।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 2-प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उ०प्र० शासन।
- 3-मिशन निदेशक, एन०आर०एच०एम०, लखनऊ।
- 4-संबंधित मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
- 5-महानिदेशक, परिवार कल्याण, जगतनरायन रोड, उ०प्र०, लखनऊ।
- 6-सम्बंधित प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला (पुरुष/महिला) चिकित्सालय, उ०प्र०।
- 7-सम्बंधित मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उ०प्र०।
- 8-सम्बंधित कोषाधिकारी, उ०प्र०।
- 9-चिकित्सा अनुभाग-2/3, उत्तर प्रदेश शासन।
- 10-संबंधित चिकित्सा अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आदेश निर्गत होने की तिथि के 15 दिन के भीतर प्रत्येक दशा में पुनर्योजित पद पर कार्यभार अवश्य ग्रहण कर लें, यदि उक्त अवधि में उनके द्वारा पुनर्योजित पद पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है, तो यह समझा जायेगा कि संबंधित चिकित्सा अधिकारी पुनर्योजन पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु इच्छुक नहीं है, और ऐसी स्थिति में उनके पुनर्योजन को स्वतः निरस्त समझा जायेगा। योगदान तिथि से 15 दिन के अन्दर अपने नियंत्रक अधिकारी की संस्तुति के उपरान्त योगदान आख्या की प्रमाणित प्रति एवं मानव सम्पदा फार्म भर कर अपर निदेशक(प्रशासन) को प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की दशा में वेतन का भुगतान नहीं हो पायेगा।
- 11- गार्डफाइल।

अपर निदेशक (प्रशासन)